

प्रेषक:

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल,
पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
- 3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

शिक्षा अनुभाग-6 (उच्च शिक्षा)

देहरादून, दिनांक: 13 दिसम्बर, 2011

विषय : राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित नीति में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या:टी0सी0 : 68/XXIV(6)/2011 दिनांक 14, नवम्बर 2011 द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के संगत अंशों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

- 1- शासनादेश दिनांक: 14.11.2011 के प्रस्तर-7 के बिन्दु-8 एवं प्रारूप पत्र-1/भाग-1 के बिन्दु संख्या-9 पर उल्लिखित "प्रर्वतक द्वारा संस्था की चल-अचल सम्पति किसी भी उद्देश्य से गिरवी नहीं रखी जायेगी" को विलोपित किया जाता है।

एवं

- 2- शासनादेश दिनांक: 14.11.2011 में निम्नलिखित को प्रस्तर-12 के रूप में समावेशित किया जाता है :-

'किसी भी विषय में राज्य सरकार के नियम/अधिनियम/विनियम एवं शासनादेशों के माध्यम से दी गई व्यवस्था उसी विषय में किसी अन्य व्यवस्था के रहते हुये भी बाध्यकारी प्रभाव रखेगा'।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव।

....2/

संख्या : 68 / XXIV(6) / 2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. संयुक्त सचिव, (उच्च शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा संगठन, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, वेनिटो ज्वारेज मार्ग, नई दिल्ली-110021।
7. अपर सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या:4/2/XXII/XXI/2011-सी0एस0 दिनांक 30, अक्टूबर 2011 के क्रम में सूचनार्थ।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
9. समिति में नामित समस्त सदस्यगण।
10. कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, ई0सी0 रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही हेतु।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को वेबसाइट में डालने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Elmosh

(डॉ० निधि पाण्डेय)

अपर सचिव।